

-: कार्यालय कलेक्टर, जिला-बेमेतरा (छ0ग0) :-

॥ विज्ञापन ॥

क्रमांक / 1999 / वित्त लि.02 / सीधी भर्ती / कले. / 2023 बेमेतरा, दिनांक 22 जून, 2023

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/27/स्था. /2023/2025 रायपुर, दिनांक 12.06.2023 तथा संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रायपुर का पत्र क्रमांक/3446/स्था.-संचा/811/2023 नवा रायपुर, दिनांक 19.06.2023 के द्वारा सीधी भर्ती की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा एवं कलेक्टर (खाद्य शाखा) बेमेतरा के निम्न आरक्षण शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन पदों की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से दिनांक 24.06.2023 से दिनांक 10.07.2023 तक सायं 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डॉक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

01. सहायक ग्रेड 03 (तृतीय श्रेणी) कुल रिक्त पदों की संख्या-03, वेतनमान 5200-20200 वेतन ग्रेड 1900 (वेतन मैट्रिक्स लेवल क्रमांक-04)

क्र.	विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जन जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व	सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व	सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व	सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00			
02	कलेक्टर खाद्य शाखा बेमेतरा	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	01	00	00			
योग		03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	02	01	00	00			

02. वाहन चालक (तृतीय श्रेणी) कुल रिक्त पदों की संख्या-01, वेतनमान 5200-20200 वेतन ग्रेड 1900 (वेतन मैट्रिक्स लेवल क्रमांक-04)

क्र.	विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	कलेक्टर खाद्य शाखा बेमेतरा	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00
योग		01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00

03. भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) कुल रिक्त पदों की संख्या-03, वेतनमान 4750-7440 वेतन ग्रेड 1300 (वेतन मैट्रिक्स लेवल क्रमांक-01)

क्र.	विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00
02	कलेक्टर खाद्य शाखा बेमेतरा	02	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00
योग		03	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	02	00	00	0

04. चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी) कुल रिक्त पदों की संख्या-01, वेतनमान 4750-7440 वेतन ग्रेड 1300 (वेतन मैट्रिक्स लेवल क्रमांक-01)

क्र.	विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूत पूर्व सैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	कलेक्टर खाद्य शाखा बेमेतरा	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00
योग		01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00

- ☉ उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में वर्गवार कमी अथवा वृद्धि परिस्थिति के अनुसार की जा सकेगी।
- ☉ महिला या भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के अंतर्गत पद भरा जावेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी :- कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ0ग0)

← सहायक ग्रेड-03 के पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी अर्हताएँ →

शैक्षणिक योग्यता :- (क) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
अथवा

पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण

(ख) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

(ग) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

सहायक ग्रेड 03 पद हेतु शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु राज्य शासन ने निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा जारी कम्प्यूटर विषय में परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है :-

- मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में प्रदत्त एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इन्फोर्मेशन टेकनालॉजी/माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
- वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड युनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इन्फोर्मेशन टेकनालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि।
- DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

← वाहन चालक के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी अर्हताएँ →

1. शैक्षणिक योग्यता :- आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के वाहन परिचालन का जीवित लाईसेंस। (वाहन परिचालन हेतु कौशल परीक्षा ली जावेगी)

← भृत्य के पदों एवं चौकीदार के पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएँ →

1. शैक्षणिक योग्यता :- पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण

{ उक्त सभी पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनको केन्द्र/छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा जारी अंकसूची में प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर ग्रेडेशन दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी को आवेदन के साथ अंकसूची में प्राप्त ग्रेड के विरुद्ध पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत का उल्लेख करते हुए पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत संबंधी प्रमाणित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। }

निर्धारित आयु सीमा :-

उपरोक्त सभी सवर्गीय पदों के लिये उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम नहीं हो तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/3/एक दिनांक 30.01.2019 द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है।

उच्चतर आयु की सीमा में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

01. यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी हैं तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
02. ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
03. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।
04. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
05. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
06. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर ग्रीन कार्ड धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदक) को उच्चतर आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट होगी।
07. राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय, गुण्डाधुर सम्मान महाराजा प्रवीरचंद्र सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
08. दिव्यांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी। बशर्ते दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
09. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छ.ग. राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।
10. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1-3 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
11. आयु में छूट शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों के तहत ही मान्य किये जायेंगे।

आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश :-

01. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
02. आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता, पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/-रु. का डॉक टिकिट लगा एक खाली लिफाफा 9'x4' के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
03. आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें।
04. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
05. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.06.2023 से दिनांक 10.07.2023 तक सायं 05:30 बजे तक "कार्यालय कलेक्टर (वित्त शाखा), कक्ष क्रमांक 37, रायपुर रोड, जिला-बेमेतरा (छ0ग0) पिन कोड-491335" के पते पर केवल रजिस्टर्ड डॉक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों-हाथ आवेदन पत्र स्वीकार/मान्य नहीं किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सभी आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा पद विशेष से संबंधित अर्हता, अनुभव वास्तविक है तथा उसी के आधार पर आवेदन किया गया है।

01. आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जावेगी।
02. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
03. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
04. आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक होगा।
05. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को आवेदन के साथ सेना द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज बुक (Discharge Book) की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
06. विज्ञापित दिनांक से पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन जमा नहीं किया जा सकता है।
07. उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में वर्गवार कमी अथवा वृद्धि परिस्थिति के अनुसार की जा सकेगी। विज्ञापन दिनांक से आगामी 01 वर्ष तक किन्ही भी कारण से उत्पन्न रिक्तता इसी विज्ञापन से प्राप्त पात्र आवेदकों से नियमानुसार भरी जा सकेगी।
08. आवेदक विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति में पूर्णतया

संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें। प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर बिना कोई पूर्व सूचना दिए उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

09. चयनित अभ्यर्थी को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत होने पर उन्हें नियुक्ति से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. स्वीकृत पदों में 30 प्रतिशत पद महिलाओं हेतु एवं तृतीय श्रेणी हेतु 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी हेतु 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों हेतु हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में सीधी भर्ती के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये निर्देश एवं शर्तें लागू होंगी।
11. किसी भी संवर्ग के महिला अभ्यर्थी न होने की दशा में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से पद की पूर्ति की जावेगी।
12. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
13. निर्धारित कौशल परीक्षा के समय/चयन पश्चात आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं आवेदक द्वारा दी गई जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. अर्हताधारी अभ्यर्थियों को उक्त भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सूचना इस जिले के अधिकारिक वेबसाइट <https://bemetara.gov.in> के माध्यम से की जावेगी। पृथक से संबंधित अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी।
15. सहायक ग्रेड 03 कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघन्टा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।)
16. चयन प्रक्रिया के दरम्यान तथा चयन के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तब उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी तथा यदि नियुक्ति हो गई हो तो वह भी निरस्त कर दी जाएगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
17. सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों से संबंधित विवरण का प्रकाशन इस जिले के अधिकारिक वेबसाइट <https://bemetara.gov.in> के माध्यम से देखा जा सकता है।
18. परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा अवधि पर निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-
प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत।
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत।
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत।

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब वह शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम किया जायेगा।

19. भर्ती नियम के अनुसार किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी अर्थात् कलेक्टर बेमेतरा (छ.ग.) को होगा।
20. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय/रिक्तियों की संख्या आदि संबंधी त्रुटि होने पर, सुधार पश्चात् विधिवत इस जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://bemetara.gov.in> में प्रकाशित की जावेगी।
21. मेरिट लिस्ट, दावा आपत्ति संबंधी जानकारी, दस्तावेज सत्यापन, कौशल परीक्षा एवं चयन सूची इत्यादि कलेक्टर कार्यालय सूचना पटल एवं इस जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://bemetara.gov.in> में अपलोड की जावेगी।
22. सीधी भर्ती से संबंधी समस्त सूचना केवल इस जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://bemetara.gov.in> के माध्यम से दी जावेगी अन्य किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।
23. उपरोक्त नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी.) क्रमांक/19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

नियुक्ति के लिए अपात्रता :-

- ❖ कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- ❖ कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- ❖ किसी उम्मीदवार की सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए।
- ❖ कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसा कि आवश्यकता समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- ❖ कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहाँ तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाए।



01. सहायक ग्रेड 3 के पदों हेतु चयन प्रक्रिया :-

अ-उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जांच पश्चात् अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 10 गुणा उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन/जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेजों का सत्यापन पश्चात् पात्र/अपात्र उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार किया जावेगा, उक्त विवरण इस जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://bemetara.gov.in> के माध्यम से देखा जा सकता है। पश्चात् पात्र उम्मीदवारों की कम्प्यूटर संबंधी दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। कुल 100 अंक में से 70 अंक शैक्षिक योग्यता (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 70 प्रतिशत के बराबर अंक) तथा 30 अंक दक्षता/कौशल परीक्षा के लिये निर्धारित किया गया है। दक्षता/कौशल परीक्षा में 10 अंक पाना अनिवार्य होगा। दक्षता/कौशल परीक्षा में 10 अंक से कम पाने वाले उम्मीदवार अपात्र माने जायेंगे। यदि दो उम्मीदवार का अंक समान हो तब कौशल परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता तय दी जाएगी, यदि शैक्षणिक योग्यता का अंक तथा कौशल परीक्षा का अंक समान हो तो उस स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी, जिस उम्मीदवार की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक तथा दक्षता/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को जोड़कर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा।

ब-यदि दक्षता/कौशल परीक्षा के बाद चयन हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर मेरिट लिस्ट के 1 पद के विरुद्ध 10 गुणा के बाद नीचे के मेरिट लिस्ट में से 01 पद के विरुद्ध 05 गुणा उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा। तदनुसार उपरोक्त दर्शित चयन प्रक्रिया के तहत चयन किया जावेगा।

02. वाहन चालक के पदों हेतु चयन प्रक्रिया :-

अ-उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जांच पश्चात् अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 10 गुणा उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन/जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेजों का सत्यापन पश्चात् पात्र/अपात्र उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार की जाएगी। उक्त विवरण इस जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://bemetara.gov.in> के माध्यम से देखा जा सकता है। तत्पश्चात् पात्र उम्मीदवारों की वाहन चालन संबंधी दक्षता परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जावेगा। कुल 100 अंक

में से 60 अंक शैक्षणिक योग्यता (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 प्रतिशत के बराबर अंक), 30 अंक वाहन चालन दक्षता के लिये एवं 10 अंक वाहन चालक संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल इत्यादि संस्थाओं के कार्यालय प्रमुख से अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर निर्धारित किया गया है।

अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर निर्धारित अंक निम्नानुसार है :-

1. 1 वर्ष से कम अवधि पर : 0 अंक
2. 1 वर्ष तक की अवधि पर : 5 अंक (न्यूनतम)
3. 1 वर्ष से अधिक अवधि पर : 10 अंक (अधिकतम)

(अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2023 के पूर्व के मान्य होंगे)

वाहन चालन दक्षता निम्नानुसार है :-

1. सुरक्षित ड्रायविंग : 10 अंक
2. यातायात संकेत : 10 अंक
3. ऑटोमोबाईल औजार का ज्ञान : 10 अंक
- योग : 30 अंक**

ब-यदि दो उम्मीदवार का अंक समान हो तो तब दक्षता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता तय की जाएगी। यदि शैक्षणिक योग्यता का अंक तथा वाहन चालन दक्षता में प्राप्त अंक समान हो तो उस स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। जिस उम्मीदवार की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक, वाहन चालन दक्षता में प्राप्त अंक एवं अनुभव से प्राप्त अंक को जोड़कर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा।

03. भृत्य एवं चौकीदार के पदों हेतु चयन प्रक्रिया :-


भृत्य पदों के लिये उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जांच पश्चात् अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 10 गुणा उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा। पश्चात् पात्र/अपात्र उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार की जाएगी। जिसे इस जिले के अधिकारिक वेबसाईट <https://bemetera.gov.in> के माध्यम से देखा जा सकता है। तत्पश्चात् पात्र अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता कक्षा पाँचवीं उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर चयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।


कक्षिक,र

जिला-बेमेतरा (छ0ग0)

पृ०क्र० / 7999 / वित्त लि.02 / सीधी भर्ती / कले. / 2023 वेमेतरा, दिनांक 22 जून, 2023
प्रतिलिपि,

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ०ग०, डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ०ग० शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय (विज्ञापन), छ०ग० शासन, ब्लॉक-ए, भूतल, इन्द्रावती भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर को सूचनार्थ एवं प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करें।
4. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. अपर कलेक्टर, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर, कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा को सूचनार्थ एवं सूचना फलक में प्रकाशन हेतु।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं विज्ञापन की छायाप्रति जिले के अधिकारिक वेबसाईट <http://bemetara.gov.in> में अपलोड करने पालनार्थ अग्रेषित।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क, बेमेतरा को सूचनार्थ एवं विज्ञापन की प्रति दैनिक/स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु पालनार्थ अग्रेषित।
10. अधीक्षक, कार्यालय कलेक्टर, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
11. स्टेनो टू कलेक्टर, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।
12. को सूचनार्थ।


कलेक्टर,
जिला-बेमेतरा (छ०ग०)

सहायक ग्रेड-03/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

फोटो चस्पा करें
(स्वयं के द्वारा
सत्यापित)

01. आवेदित पद का नाम :- _____
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :- _____
(अंग्रेजी में) :- _____
03. पिता/पति का नाम :- _____
04. जन्म तिथि - (अ) अंको में :- _____
(ब) शब्दों में :- _____
(स) दिनांक 01.01.2023 को आयु :- वर्ष _____ माह _____ दिन _____
05. लिंग - (पुरुष/महिला/तृतीय लिंग) :- _____

06. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

07. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता :- _____
:- _____
:- _____
08. स्थायी पता :- _____
:- _____
:- _____
09. दूरभाष/मोबाईल नंबर :- _____

10. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) :- _____
11. क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा/अपिव के सदस्य हैं? यदि हाँ तो वर्ग लिखें एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। :- _____
12. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? (यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) :- _____
13. निःशक्त आवेदक निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) :- प्रकार _____ प्रतिशत _____
14. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए (अ) सेना का नाम, जिसमें कार्य किया गया है। :- _____ (ब) कार्य की अवधि :- दिनांक _____ से _____ तक कुल अवधि _____
15. क्या आवेदक विवाहित है? हाँ/नहीं :- _____ (अ) यदि अविवाहित है तो विवाह की तिथि :- _____ (ब) जीवित संतान की संख्या :- _____ (स) यदि दो से अधिक जीवित संतान है, तब अंतिम संतान की जन्मतिथि :- _____
16. यदि आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हो तो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) :- _____
17. वाहन चालक पद हेतु हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्रायविंग लायसेंस का विवरण (लायसेंस की सत्यापित प्रति संलग्न करें) :- लायसेंस नंबर _____ वैधता तिथि _____
18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :- 01- _____ 02- _____ 03- _____ 04- _____ 05- _____ 06- _____ 07- _____

दिनांक :- _____
स्थान :- _____

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है यदि झूठी पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :- _____
स्थान :- _____

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम

घोषणा पत्र

मेंपिता/पति श्री

एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पत्र में आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, चयन के पूर्व या उसके बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरीं उम्मीदवारीं निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा सत्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अपान्नता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी मेरे सभी दावें समाप्त हो जायेगा।

दिनांक :- _____

स्थान :- _____

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

मोबाईल नंबर